न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 124
दायरा तिथि : 17.02.2025
आदेश तिथि : 07/07/25

प्रार्थीगण :–

1. रामलाल पुत्र चमनाराम जाति सीरवी निवासी खीमेल तहसील बाली
2. पकाराम पुत्र लुम्बाराम जाति सीरवी निवासी ग्रा.पो. दादाई तहसील देसूरी

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. उमाराम पुत्र केसाराम जाति सरगरा
2. नारंगी देवी पत्नी उमाराम जाति सरगरा निवासीगण खीमेल तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 7/7/025

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1308 रकबा 1.8900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1931/1356 रकबा 3.7400 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/1530 दिनांक 05.06.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता ही इस हेतु इकलौता स्त्रोत है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चलायमान है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1931/1356	3.74 हैक्टर	जाव सोयम	88X4.60=404.80 वर्गमीटर	उमाराम पुत्र केसाराम वगैरा जातिगण सरगरा निवासीगण खीमेल

5. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख मोखमपुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 194000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने प्राथीगण को अपने खातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने बाबत सहमति व्यक्त कर सहमति पत्र पेश किया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.........02

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/124
अनवान रामलाल वगैरा बनाम उमाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1308 रकबा 1.8900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1308 रकबा 1.8900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली के खसरा नंबर 1931/1356 रकबा 3.7400 हैक्टर में से **404.80 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे।
प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 194000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1931/1356	3.74 हैक्टर	88X4.60=404.80 वर्गमीटर	20	8096X2=16192	1. उमाराम पुत्र केसाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार हि. 109/187 2. नारंगी देवी पत्नी उमाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार हि. 78/187

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 16192/– (अक्षरे सोलह हजार एक सौ बरानवे रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(विवेक ...)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/ 864–868
दिनांक :08-7-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 मोखमपुरा
3. पटवारी हल्का, खीमेल
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक रामलाल पुत्र चमनाराम जाति सीरवी निवासी खीमेल तहसील बाली वगैराको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 26/05/2025 01:09:16 PM

जिला : पाली तहसील : बाली भू. अ. नि. क्षेत्र : मोखमपुरा

पटवारी हल्का : खीमेल ग्राम : खीमेल

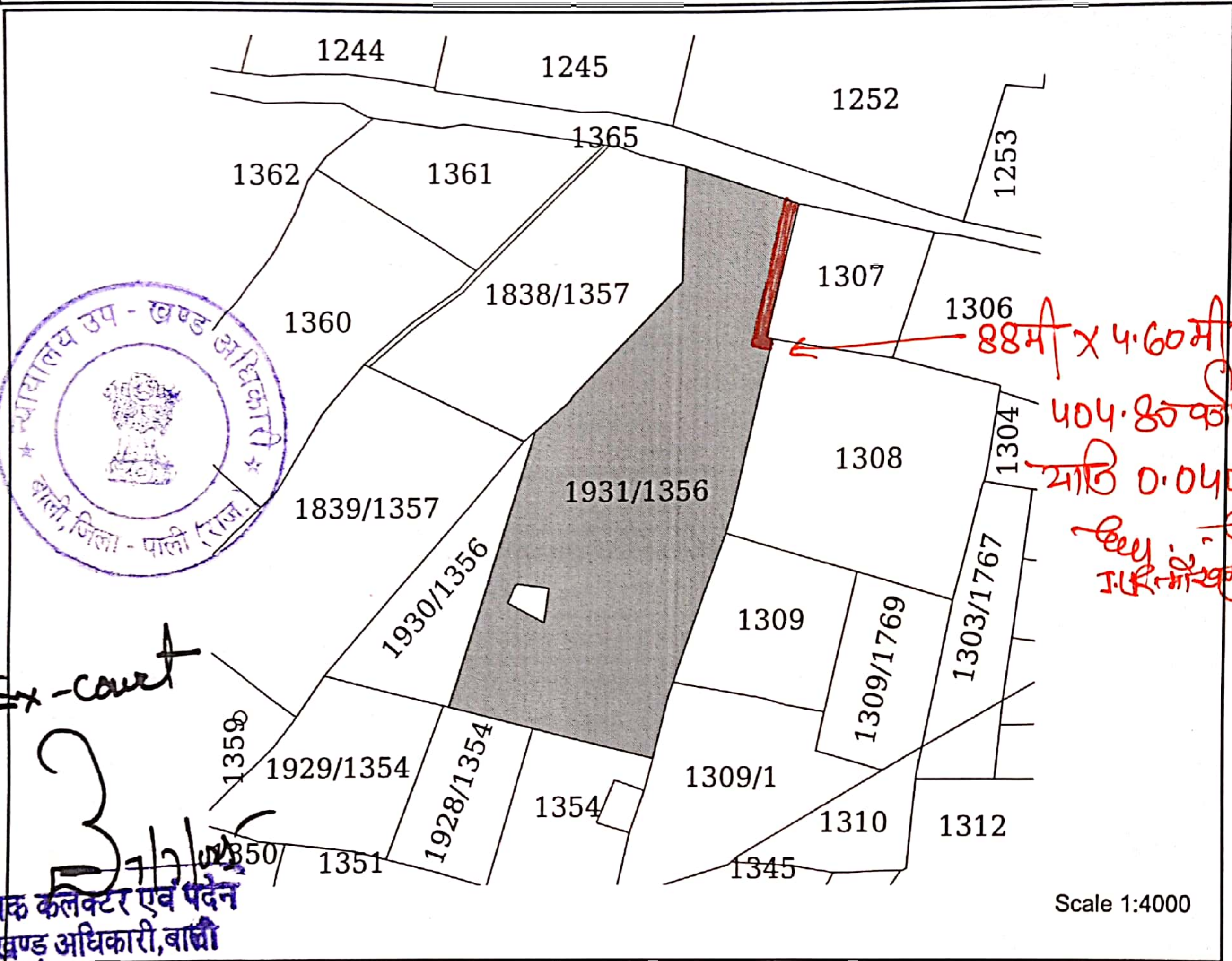

खसरा संख्या :1931/1356 क्षेत्रफल : 3.7400 Hectare खाता संख्या : 847 पुराना खाता संख्या :47

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: जाव सोयम [3.7400, 26.18]

1.) उमाराम पुत्र केसाराम हिस्सा- 109/187 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार हिस्सा-109/187 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खीमेल

2.) नांरगीदेवी पत्नि उमाराम हिस्सा- 78/187 जाति- सरगरा सा. देह खातेदार हिस्सा-78/187 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खीमेल

तहसीलदार,बाली

छगनलाल
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
निरीक्षक (भू.अ.)
वृत्त मोखमपुरा तह.बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned with CamScanner